भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2416

सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947, (शक)

खतरनाक प्रकृति के कार्यों वाले कारखानों का खराब निरीक्षण

2416. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान रिपोर्ट, 2021 के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे प्रमुख औद्योगिक राज्यों में खतरनाक प्रकृति के कार्यों वाले और सामान्य कारखानों की निरीक्षण दरें काफी कम हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विगत दस वर्षों के दौरान खतरनाक प्रकृति के कार्यों वाले और सामान्य कारखानों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वर्ष-वार निरीक्षण दरों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा निरीक्षण प्रक्रियाओं में कम निरीक्षण दरों और अंतराल के कारणों की पहचान करने के लिए कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की राज्य स्तर पर निरीक्षण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने, वित्तीय सहायता प्रदान करने या क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 को अधिनियमित किया है जो अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रावधान करता है। कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके तहत बनाए गए नियमों को महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों सहित संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में मुख्य कारखाना निरीक्षकों (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालयों (डीआईएसएच) के माध्यम से लागू किया जाता है। पिछले दस वर्षों (2014-2023) के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत खतरनाक कारखानों सहित निरीक्षण किए गए पंजीकृत कारखानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या का विवरण **अनुबंध- I** में दिया गया है।

जारी...2/-

कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली) की रिपोर्ट में बताया गया है कि निरीक्षणों में कमी संभवतः कोविड महामारी के कारण देश में लागू प्रतिबंध के कारण हुई है।

डीजीफासली कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कारखाना निरीक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कारखाना निरीक्षकों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम को नए भर्ती किए गए लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिसका उद्देश्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान और कौशल प्रदान करना है।

* *****

अनुबंध

दिनांक 04.08.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2416 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले 10 वर्षों (2014-2023) में निरीक्षण किए गए पंजीकृत कारखानों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रम.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31	31	15	26	12	12	#	19	20	1
2	आंध्र प्रदेश	4607	4708	4348	1857	1878	1462	1758	2696	1611	2982
3	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	#	#	#	#	#	#
4	असम	1610	2103	1059	1197	672	515	3529	1777	1207	1240
5	बिहार	1059	1289	#	5	77	96	37	10	147	103
6	चंडीगढ़	19	1	7	13	#	#	#	#	#	#
7	छत्तीसगढ	1311	1385	1661	1004	590	733	513	692	724	1288
8	डीडी और डीएनएच	160	140	141	136	180	195	195	#	#	#
9	दिल्ली	1105	1036	1001	208	553	684	405	526	738	699
10	गोवा	161	66	105	70	63	74	67	160	84	147
11	गुजरात	13499	14056	7483	4868	8907	16930	14390	8877	17722	19319
12	हरियाणा	2742	347	1630	460	990	1362	393	978	1617	2044
13	हिमाचल प्रदेश	1201	1165	1211	1101	1373	1293	1030	999	#	#
14	जम्मू और कश्मीर	1295	1166	1382	1140	643	536	481	645	739	802
15	झारखंड	2630	2544	1920	1190	1047	808	512	379	397	584
16	कर्नाटक	9160	8395	8140	7538	11305	8421	6417	5630	7299	7065
17	केरल	13656	12615	12936	12663	13213	14905	6110	5122	3995	5346
18	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	3024	2249	1812	954	713	1662	323	796	1437	1038
20	महाराष्ट्र	14352	11333	6311	3175	4911	3190	4598	3158	5086	4745
21	मणिपुर	162	185	279	270	209	217	235	191	92	53
22	मेघालय	17	19	42	74	64	140	50	51	30	90
23	मिजोरम	*	#	1	1	1	1	1	1	#	3
24	नागालैंड	210	263	883	759	84	62	4	16	24	56
25	ओडिशा	2824	3189	1113	1113	1138	921	992	959	1085	1023
26	पुदुचेरी	1167	1082	942	1056	1012	994	893	479	426	357
27	पंजाब	2599	2141	2051	3298	2637	1999	1364	#	2759	1998

28	राजस्थान	3194	2819	5730	3943	8794	1268	3841	2443	4020	1829
29	सिक्किम	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	तमिलनाडु	27634	29781	30668	26749	10762	21487	12448	8163	9552	9784
31	तेलंगाना	3849	2529	3229	3229	2950	5917	4139	1735	5529	4623
32	त्रिपुरा	1124	907	1109	1191	1206	1449	807	489	501	389
33	उत्तर प्रदेश	1087	1421	1416	2140	1857	220	433	#	#	#
34	उत्तराखंड	107	141	80	363	424	218	98	134	94	66
35	पश्चिम बंगाल	3356	2044	2844	#	2385	#	#	#	#	#
कुल		118952	111150	101549	81791	80650	87771	66063	47125	66935	67674

*****